प्राप्त 15-1-2018

4699 / पी (i) / 17-01-18

संख्याः 988/X-4-17/1(144)/2017

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

**वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4**

**देहरादूनः दिनांकः 12 जनवरी, 2018**

**विषयः जनपद–देहरादून के अंतर्गत कालसी यमुना ब्रिज से कालसी 28 (कुल दुरी–13.5 किमी0) (0.405 हे0) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/किमी0) विंध्या टेलीलिंकस लि0 (Vindhya Telelinks Limited) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2021/FP/UK/Others/29741/2017, दिनांक 18.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून के अंतर्गत कालसी यमुना ब्रिज से कालसी 28 (कुल दुरी–13.5 किमी0) (0.405 हे0) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/किमी0) विंध्या टेलीलिंकस लि0 (Vindhya Telelinks Limited) को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0सी0 दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ0न0–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 एवं एफ0न0–11–568/2014–एफ0सी0, दिनांक 02.02.2015 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः 988 (1)/X-4-17/1(144)/2017, तददिनांकित्।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, देहरादून।
6. Vindhya Telelinks Limited, Mohali, Chandigarh.
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

लक्ष्मी वर्मा
आ0का0 वर्,
15/1
अ0प्र0व0स0/नो0अ0
15-1-2018